

दूरध्वनी / Telephone : 2652 1902 / 2654 1878 (D) / 2654 0453 (D)

ई-मेल / e-mail : rtimumbai@cag.gov.in

फॅक्स / FAX No. : 2652 2627

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई.

REGIONAL TRAINING INSTITUTE, MUMBAI.

संख्याः क्षे.प्र.सं./मुं/प्रशासन/ प्रतिनियुक्ति/2021-22/परिपत्र 5 दिनाक 22.10.2021

सेवा में,

भा ले प व ले वि के सभी कार्यालय/ आरटीआई के सभी उपयोगकर्ता कार्यालय

To

All IA&AD offices/ User offices of RTI, Mumbai

विषय: ओआईओएस के कार्यान्वयन के लिए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के संबंध में Sub: Deputation of Asstt Audit Officer for implementation of OIOS- reg,

महोदय/ महोदया,

मुख्यालय पत्र क्रमांक 658 / स्टाफ-एस एवं आर / सीसी / 26-2021 दिनांक 29 सितंबर 2021 और ईमेल दिनांक 04 अक्तूबर 2021, के अनुसरण में नीचे दिये गए निर्देशों के अनुसार इच्छुक उम्मीदवारों से प्रतिनियुक्ति पर भर्ती के संबंध में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र. सं	पद	पदों की संख्या	विवरण	काम का अनुभव
1.	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ओआईओएस)	1 (नियमित अस्थायी पद)	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, ओआईओएस, क्षमता निर्माण, हैंडहोल्डिंग और स्थानीय क्षेत्र और शाखा कार्यालयों के लिए कार्यात्मक OIOS हेल्प डेस्क के रूप में कार्य करेगा।	लेखापरीक्षा की व्यापक जानकारी और आईटी यंत्रों का उपयोग करने में सहज सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी। कंप्यूटर में विशेष तकनीकी योग्यता उच्च वांछित हैं।

पात्रता:

- 1. यह पद वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों के बीच विनिमेय होगा।
- 2. भा ले प व ले वि के समग्र कामकाज से संबन्धित ज्ञान अनिवार्य है।
- 3. कम्प्यूटर पर नियमित कार्य करने की योग्यता और आईटी उपयोग में सहजता अनिवार्य है।
- 4. प्रतिनियुक्ति पद के लिए 56 वर्ष या इससे ऊपर के उम्मीदवार को आवेदन नहीं करना है।

प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें

- 1. सलेपअ (ओआईओएस) के पद को "संकाय" माना जाएगा। इसलिए, यह पद प्रतिनियुक्ति भत्ते की बजाय प्रशिक्षण भत्ते का हकदार है, जैसा कि इस कार्यालय में कोर संकाय के पद के लिए स्वीकार्य है।
- 2 मुख्यालय का परिपत्र संख्या 269/Trg Div/42-ए/2019 दिनांक 18.09.2019 संदर्भित है, जिसमें आरटीआई/ आरटीसी में स्टाफ के संवर्धन (प्रशासन और संकाय) पर सख्त अनुपालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत निर्देश दिये गए थे। ऊपर परिपत्र में बताए गए निर्देशों को नीचे दोबारा से बताया जाता है:-

- 3. मुख्यालय का परिपत्र संख्या 269/Trg Div/42-ए/2019 दिनांक 18.09.2019 संदर्भित है, जिसमें क्षे.प्र.सं में स्टाफ के संवर्धन (प्रशासन और संकाय) पर सख्त अनुपालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत निर्देश दिये गए थे। ऊपर परिपत्र में बताए गए निर्देशों को नीचे दोबारा से बताया जाता है:-
 - (i) क्षे.प्र.सं. के द्वारा निकाली गई प्रतिनियुक्ति अधिसूचना क्षेत्रीय कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे और अधिसूचना की प्रतिक्रिया के लिए उम्मीदवार को उपयुक्त समय देकर कर्मचारियों के लिए अधिसूचना को प्रसारित करेंगे।
 - (ii) क्षेत्रीय कार्यालय उनके सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों से, क्षे.प्र.सं./ क्षे.प्र.के. द्वारा विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राप्त हुए आवेदनों को संबन्धित क्षे.प्र.सं./ क्षे.प्र.के. को बिना किसी का आवेदन रोके, भेजेंगे।
 - (iii) चयन प्रक्रिया सम्पूर्ण होने पर क्षेत्रीय कार्यालय अनिवार्य रूप से चयनित अधिकारी/ कर्मचारियों को शिक्षण/ प्रशासनिक कार्यभार संभालने के लिए जल्दी से जल्दी क्षे.प्र.सं./ क्षे.प्र.के. के लिए मुक्त करेंगे।
 - (iv) क्षेप्रसं के लिए प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति अवधि 3 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद वार्षिक आधार पर बढ़ाई जाएगी। यद्यपि क्षे.प्र.सं द्वारा प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रतिनियुक्त को किसी भी समय वापस भेजने का अधिकार रखती है।

सभी इच्छुक उम्मीदवारों को उनके संबन्धित मूल कार्यालय के जरिये आवेदन करना है। मूल कार्यालयों से निवेदन किया जाता है कि उम्मीदवारों का आवेदन, उनके बायो-डाटा और पिछले पाँच साल की एपीएआर के साथ, इस संस्थान में 12 नवम्बर 2021 तक पहुँच जाना चाहिए।

In pursuance of the Headquarters letter No. 658 / स्टाफ-एस एवं आर / सीसी / 26-2021 dated 29 September 2021 along with subsequent email dated 04.102021, application from desirous candidates are invited with regard to enrollment for deputation assignment as per instructions given below:

SI N o.	Post	No. of Vacancy	Description	Work experience
1	Asstt Audit Officer (OIOS)	(regular temporary post)	The AAO shall be responsible to support capacity building, handholding, and as functional OIOS for local field and branch offices	AAOs with wide exposure to Audit and comfortable in using IT systems. Specialized technical qualifications in computer are highly desirable.

Eligibility:

- 1. The post will be interchangeable between Sr AO and AAO.
- 2. Knowledge related to overall functioning of IA & AD is necessary.
- 3. Regular working proficiency in computers and comfort in using IT is necessary. Specialized technical qualifications in computer are highly desirable.
- 4. The applicants with 56 years of age or above should not apply for the deputation post.

Terms & Conditions of deputation:

- 1. The term of deputation will be for three years and may be extended thereafter, subject to his/her continued suitability and administrative convenience.
- The post of AAO (OIOS) may be treated as "Faculty". Hence, the post will be entitled for Training Allowance as admissible to the posts of Core Faculty in this office instead of deputation allowance.
- 3. A reference is invited to Headquarters Circular No.269/Trg.Div/42-A/2019 dated 18.09.2019 wherein detailed instructions to field offices on augmentation of staff (Administration and

Faculty) in RTI were issued for strict compliance. The instructions in the said circular are reproduced below:

(i) Field offices shall display the deputation notification issued by RTI on the notice board and circulate among the staff giving reasonable time to the candidates for responding to the notification.

(ii) Field offices shall forward all applications received from their offices/staff against the positions advertised by RTI to the concerned Institute/Centre, without withholding any application.

(iii) On completion of selection process, the field offices shall obligatorily relieve the selected

officer(s) for teaching/administrative assignment at RTI at the earliest.

(iv) The initial deputation period to RTI will be for three years and extendable on yearly basis thereafter. The RTI reserves the right to repatriate a deputationist at any time, if his/her performance is found unsatisfactory.

All candidates who are willing should apply through their respective Parent Offices. The Parent Offices are requested to forward applications of candidates alongwith Bio-data and APARs for the last five years to this Institute, so as to reach this Institute latest by 12 November 2021.

यह परिपत्र महानिदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है। This issues with the approval of Director General, RTI, Mumbai.

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशासन